

अध्याय 4: सेनवेट क्रेडिट

एक विनिर्माता/सेवा संभरक अन्तिम उत्पाद के विनिर्माण में पूँजीगत माल जैसे संयंत्र एवं मशीनरी, इनपुट जैसे कच्चा माल एवं इनपुट सेवाओं जैसे सुरक्षा सेवाएं, प्रबन्धन, अनुरक्षण अथवा मरम्मत सेवाओं इत्यादि का उपयोग करता है। इन तीन मदों में से किसी पर भुगतान किया गया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर सेनवेट क्रेडिट खाते में क्रेडिट किया जाता है। संचित क्रेडिट तैयार माल/आउटपुट सेवाओं पर शुल्क/कर भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता है जो कुछ शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन होता है। यह सुनिश्चित करता है कि इनपुटों पर केवल एक बार कर लगाया गया है।

इस लेखापरीक्षा के दौरान, हमने ` 6.74 करोड़ के शुल्क प्रभाव के साथ सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति के 144 मामले देखे। इन मामलों में से 72 में मंत्रालय/विभाग हमारी आपत्तियों से सहमत हुआ था जिनमें ` 3.50 करोड़ का शुल्क शामिल था एवं 70 मामलों में ` 3.33 करोड़ वसूल किये गए। हमने निम्नलिखित पैराग्राफों में ऐसे कुछ मामलों को दर्शाया है।

4.1 सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 3(1) उत्पाद एवं सेवा कर के शुल्कों को विनिर्दिष्ट करता है जो विनिर्माता अथवा सेवा संभरक द्वारा सेनवेट क्रेडिट के रूप में प्राप्त किये जा सकते हैं। मूल सीमा शुल्क का क्रेडिट प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त, सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 14 में सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति तथा उपयोग के लिए ब्याज की वसूली के लिए प्रावधान किया गया है।

हमने नासिक कमिश्नरी में, अध्याय 87 के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क योग्य माल के एक विनिर्माता मै. जे.पी. इन्टरप्राइजेज के इनपुट सेनवेट क्रेडिट रजिस्ट्रों तथा बीजको से पता लगाया कि निर्धारिती ने 2010-11 से 2012-13 की अवधि के लिए ` 20.17 लाख के आयातित इनपुटों पर मूल सीमा शुल्क का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था जो अस्वीकार्य है। इसके परिणामस्वरूप ` 20.17 लाख के सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति हुई।

हमने मार्च 2014 में इसे बताया।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि निर्धारिती ने मार्च 2014 में ` 4.64 लाख की शास्ति तथा ` 6.86 लाख के ब्याज सहित ` 20.17 लाख की एक राशि का भुगतान किया था।

4.2 सेनवेट क्रेडिट को वापस ना लौटाना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(5बी) के अनुसार, जहाँ इनपुट अथवा पूंजीगत माल के मूल्य को बढ़े खाते डालने हेतु कोई प्रावधान किया गया है, जिन पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया है, वहाँ विनिर्माता उक्त इनपुट/पूंजीगत, माल के संबंध में लिए गए सेनवेट क्रेडिट के बराबर की राशि का भुगतान करेगा। यदि उक्त इनपुट अथवा पूंजीगत माल को बाद में तैयार उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग किया जा रहा है, तो विनिर्माता पहले भुगतान की गई राशि का क्रेडिट लेने का हकदार होगा।

हमने देखा कि चेन्नैई-IV कमिश्नरी में मै. डाईमॉस लियर आटोमोटिव इण्डिया प्रा. लिमिटेड (इकाई II), जो आटोमोबाईल सीटों की विनिर्माता है, ने इनपुट, पूंजीगत माल तथा इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था तथा इसका उपयोग अपने तैयार उत्पाद पर शुल्क के भुगतान के लिए किया था। निर्धारिती ने वर्ष 2012-13 के लिए खातों में ` 1.73 करोड़ राशि की खराब माल सूची के मूल्य को बढ़े खाते डालने के लिए एक प्रावधान बनाया था। निर्धारिती ने लिए गए सेनवेट क्रेडिट को लौटाए बिना ही मालसूची के कुल मूल्य से उक्त राशि की कटौती की थी।

हमने दिसम्बर 2013 में ` 21.40 लाख के सेनवेट क्रेडिट के ना लौटाने को दर्शाया था।

मंत्रालय ने निर्धारिती द्वारा ब्याज सहित ` 23.50 लाख लौटाने की सूचना दी (अक्टूबर 2014)।

4.3 अयोग्य पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट का प्राप्त करना

बोर्ड ने दिनांक 8 जुलाई 2010 के अपने अनुदेशों में स्पष्ट किया कि पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट केवल उन मदों पर उपलब्ध है जो सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के अन्तर्गत पूंजीगत माल की परिभाषा के अन्तर्गत कवर किया

गया उत्पाद शुल्क योग्य माल है तथा विनिर्माता की फैक्ट्री में उपयोग किया जाता है। 'पूंजीगत माल' को सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(ए) में परिभाषित किया गया है।

कोल्हापुर कमिश्नरी में मै. अर्थव फाऊनड्रीज प्रा.लि. जो अध्याय 87 की वस्तुओं के विनिर्माण में लगी है, ने 2011-12 से 2012-13 की अवधि के दौरान एमएस चैनल, एमएस एंगल तथा एचआर कोईल जैसे मर्दों को पूंजीगत माल के रूप में मानते हुए उन पर ` 10.94 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया। चूंकि ये मर्दें पूंजीगत माल की परिभाषा के अन्तर्गत कवर नहीं की गई है, इसलिए ` 10.94 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करना स्वीकार्य नहीं था तथा लौटाने योग्य था।

हमने जून 2013 में इसे बताया।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि ` 10.94 लाख के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

4.4 पुरानी मशीनरी को बेचने पर सेनवेट क्रेडिट का कम भुगतान

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(5ए) में प्रावधान किया गया है कि यदि पूंजीगत माल जिस पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया है, उपयोग करने के बाद हटा दिया गया है, तो विनिर्माता अथवा आउटपुट सेवाओं का संभरक सेनवेट क्रेडिट लेने की तिथि से एक वर्ष की प्रत्येक तिमाही अथवा उसके भाग के लिए उक्त पूंजीगत माल पर लिए गए सेनवेट क्रेडिट के समान राशि से 2.5 प्रतिशत घटाते हुए राशि का भुगतान करेगा। यद्यपि, यदि ऐसी परिकल्पित राशि लेन-देन मूल्य पर लगाये गये शुल्क से कम है, देय राशि लेन-देन मूल्य पर लगाये गये शुल्क के बराबर होगी।

4.4.1 लुधियाना कमिश्नरी में, ऑटो पुर्जे/मोटर वाहन पुर्जे के उत्पादन से जुड़ा मैसर्स मेजेस्टिक ऑटो लिमिटेड के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, हमने देखा कि निर्धारिती ने लेन-देन मूल्य पर लगाये गये ` 158.03 लाख की बजाय ` 113.77 लाख के उत्पाद शुल्क के भुगतान द्वारा, वर्ष 2012-13 के दौरान

मैसर्स मेजेस्टिक ऑटो लिमिटेड, नोएडा को ` 12.79 करोड़ की उपयोग की गई मशीनरी स्थानांतरित की। इसके परिणामस्वरूप ` 44.26 लाख के शुल्क का कम भुगतान हुआ।

हमने मार्च 2014 में इसे बताया।

मंत्रालय ने आपत्ति का विरोध यह कहते हुये (अक्टूबर 2014) किया कि निर्धारिती ने उच्चतर शुल्क का भुगतान किया होता, अन्य इकाई ने उच्चतर क्रेडिट का लाभ उठाया होता और पूर्ण अभ्यास निष्पक्ष होता। मंत्रालय ने भुगतान के समर्थन में कुछ अधिकरण निर्णयों का भी उदाहरण दिया जैसा कि निर्धारिती¹⁷ द्वारा प्रमाणित था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के 3(5ए)(ए)(ii) के प्रावधान के अनुसार यदि परिकलित की गई राशि लेनदेन मूल्य पर लगाये गये शुल्क से कम है, लेनदेन मूल्य पर लगाये गये शुल्क के बराबर होगा। यह भी बताया गया कि सीबीईसी ने समान स्थिति में निर्धारिती के साथ-साथ निर्णय देने वाले अधिकारी के प्रमाणित अधिकरण निर्णयों के आधार पर कोई निर्देश जारी नहीं किये थे।

4.4.2 गुडगांव कमिश्नरी में, मोटर वाहनों के अतिरिक्त सामान और पुर्जे के उत्पादन से जुड़े, मैसर्स रीको ऑटो इंडस्ट्रीज के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि दिसम्बर 2012 में अग्नि से दुर्घटना हुई थी, जिसमें ` 4.27 करोड़ की कीमत के संयंत्र और मशीनरी नष्ट हुई। हमने देखा कि उस पर ` 44.55 लाख का सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया गया था। निर्धारिती ने नष्ट हुये संयंत्र और मशीनरी पर एक करोड़ का बीमा दावा प्राप्त किया था। यद्यपि, निर्धारिती ने अधिष्ठापन की तिथि से आग से बर्बादी की तिथि तक प्रयोग किये प्रति तिमाही के लिये प्रयोग किये गये क्रेडिट के 2.5 प्रतिशत पर अनुमत कटौती की अनुमति के बाद ` 10.80 लाख का अनुपातिक क्रेडिट का भुगतान नहीं किया।

हमने जनवरी 2014 में इसे बताया।

¹⁷ आईडियल कंपोनेट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीसीई {2009 (244) इएलटी 589} और वोल्फ्रा टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीसीई {2012 (284) इएलटी 89}

मंत्रालय ने सूचित (अक्टूबर 2014) किया कि ` 10.80 लाख के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना है।

4.5 अस्वीकार्य इनपुट सेवा पर सेवा कर के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 2 (I) के अनुसार 'इनपुट सेवा' में अन्य बातों के साथ-साथ, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, अंतिम उत्पाद के उत्पादक से संबंधित या में उत्पादक द्वारा प्रयोग की गई, कोई भी सेवा और स्थानांतरण तक अंतिम उत्पाद का भुगतान शामिल है और कारखाने के स्थापन आधुनिकीकरण, नवीकरण या मरम्मत, आउटपुट सेवा प्रदान करने वाले के परिसर या ऐसे कारखाने या परिसर से संबंधित कार्यालय, विज्ञापन, बिक्री संवर्धन, बाजार अनुसंधान, स्थानांतरण तक भण्डारण, इनपुटों की खरीद, व्यापार से संबंधित गतिविधियां जैसे, लेखांकन लेखापरीक्षण, वित्त, भर्ती और गुणवत्ता नियंत्रण, कोचिंग और प्रशिक्षण, कंप्यूटर नेटवर्किंग, क्रेडिट दर, शेयर रजिस्ट्री और सुरक्षा, इनपुट या पूँजीगत माल का आवक परिवहन और स्थानांतरण तक जावक परिवहन से संबंधित सेवार्यें शामिल हैं।

4.5.1 जयपुर-। कमिश्नरी में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स के उत्पादन से जुड़े मैसर्स टोयोडा गोसाईं मिंडा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स विस्टियोन क्लाइमेट सिस्टमस इंडिया लिमिटेड ने 2010-11 से 2012-13 के दौरान जावक मालभाड़ा पर ` 1.46 करोड़ के सेवा कर का भुगतान किया और उपरोक्त राशि पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया। जावक मालभाड़ा प्रभार इनपुट सेवा के लिये वांछनीय नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ` 1.46 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाया।

हमने जनवरी 2014 में इसे बताया।

मंत्रालय ने सूचित (अक्टूबर 2014) किया कि मैसर्स टोयोडा गोसाईं मिंडा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने पूरी राशि जमा कराई। इसके अतिरिक्त, मैसर्स विस्टियोन क्लाइमेट सिस्टमस इंडिया लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है।

4.5.2 नोएडा कमिश्नरी में, मैसर्स इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड के सेनवेट क्रेडिट अभिलेखों के नमूना जांच के दौरान, हमने देखा कि निर्धारिती ने वर्ष 2012-13 के दौरान कोलकाता, पश्चिम बंगाल में अपनी इकाई के लिये किराये, मरम्मत कार्य और रखरखाव कार्य के लिये किये गये भुगतान पर ` 18.72 लाख के सेवा कर के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया। किराया, मरम्मत और रखरखाव कार्य उत्पादन कार्य से संबंधित नहीं थे और निर्धारिती के परिसर से भी संबंधित नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप ` 18.72 लाख सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाया गया।

हमने इसे बताया (जनवरी 2014), मंत्रालय/विभाग का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित (अक्टूबर 2014) है।

4.5.3 सेनवेट क्रेडिट के अनियमित लाभ के अन्य मामले

उपरोक्त मामलों के अतिरिक्त, हमने देखा कि निर्धारिती ने निम्नलिखित मामलों में अनियमित सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया:

तालिका संख्या 10

सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाने वाले निदर्शी मामले

निर्धारिती का नाम	कमिश्नरी	अवधि	सीईआरए द्वारा देखे गये अनियमित सेनवेट क्रेडिट लाभ	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
मैसर्स सनबीम ऑटो प्राइवेट लि.	जयपुर-I	2011-12 से 2012-13	` 18.08 लाख	मंत्रालय ने ` 17.91 लाख की राशि की क्रेडिट वापसी सूचित की (अक्टूबर 2014)।
मैसर्स गेस्टएम्प ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लि.	पुणे-I	2012-13	` 5.56 लाख	मंत्रालय ने जुर्माने सहित ` 6.16 लाख की वसूली सूचित की (अक्टूबर 2014)।
मैसर्स एलिकॉन केस्टालोरी प्राइवेट लि.	पुणे-III	2011-12 से 2012-13	` 8.65 लाख	मंत्रालय ने ब्याज और जुर्माने सहित ` 13.07 लाख की वसूली सूचित की (अक्टूबर 2014)।
मैसर्स शारदा मोटर्स इंडस्ट्रीज लि.	दिल्ली-एलटीयू	2010-11 से 2012-13	` 37.64 लाख	मंत्रालय ने सूचित (अक्टूबर 2014) किया कि निर्धारिती ने ` 10.00 लाख का आंशिक भुगतान कर दिया है।
मैसर्स मिंडा कॉरपोरेशन लि.	नोएडा	2010-11	` 17.93 लाख	मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2014) कि कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है।

4.6 इनपुट सेवा क्रेडिट का अधिक लाभ उठाना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(1) के अनुसार 'इनपुट सेवा' का अर्थ है अंतिम उत्पाद और निपटान के उत्पादन से संबंधित या में तत्संबंधी स्थानांतरण तक उत्पादक द्वारा प्रयोग की गई कोई भी सेवा। प्रति प्रभार प्रक्रिया के अंतर्गत, कुछ सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रायोजन सेवा शामिल है, सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 2(1)(डी) में निहित प्रावधान के अनुसार कर के भुगतान का उत्तरदायी है।

4.6.1 पुणे । कमिश्नरी में मैसर्स फोर्स मोटर्स लिमिटेड के अभिलेखों की जांच से पता चला कि निर्धारिती ने विभिन्न संस्था से प्रयोजन सेवा प्राप्त की थी जिसके लिये निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया था। अकुरदी में स्थिति इकाई ने सेवा देयता निर्वहन की और इनपुट सेवा क्रेडिट का लाभ उठाया। हमने देखा कि निर्धारिती की देश में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न वाहन जैसे ट्रेलर, टेम्पो, ट्रैक्टर आदि के उत्पादन की एक से अधिक इकाई है। क्योंकि प्रायोजन सेवा पूर्ण रूप से कंपनी के लिये की गई थी और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी पूरी कंपनी के लिये प्रयोग की गई थी, केवल अकुरदी इकाई द्वारा सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाना उचित नहीं था। निर्धारिती ने वर्ष 2012-13 के दौरान प्रायोजन सेवा पर ` 13.12 लाख के इनपुट सेवा क्रेडिट का लाभ उठाया। अकुरदी इकाई के लिये इनपुट सेवा क्रेडिट केवल ` 1.89 लाख बनता है। इसके परिणामस्वरूप ` 11.23 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अधिक लाभ उठाया गया।

हमने फरवरी 2014 में इसे बताया।

आपत्ति को स्वीकार करते हुये, मंत्रालय ने सूचित (अक्टूबर 2014) किया कि ` 12.30 लाख के लिये कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

4.6.2 दिनांक 16 दिसम्बर 2002 की अधिसूचना, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 के अंतर्गत उद्ग्राह्य सेवा कर के जितना, जोकि अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत तकनीक के कथित स्थानांतरण पर भुगतान किये गये उपकर की राशि के बराबर है से तकनीक

के स्थानांतरण पर परामर्शी इंजीनियर द्वारा ग्राहक को प्रदान की गई कर योग्य सेवाओं में छूट प्रदान करती है।

गुडगांव कमिश्नरी में, मैसर्स मिस्तुबिशी इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अभिलेखों के नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती ने 2010-11 से 2011-12 की अवधि के दौरान ` 5.93 करोड़ के मूल्य पर रॉयल्टी और तकनीकी शुल्क पर ` 61.20 लाख के सेवा कर का भुगतान किया और पूरी राशि पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया। हमने देखा कि निर्धारिती द्वारा ` 61.20 लाख में से ` 28.40 लाख आर और डी उपकर के प्रति जमा किये थे। इसलिये, दिनांक 16 दिसम्बर 2002 की अधिसूचना के अनुसार आर और डी उपकर राशि को घटाये बिना पूर्ण क्रेडिट लाभ उठाने के परिणामस्वरूप ` 28.40 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अधिक लाभ उठाया गया।

हमने फरवरी 2014 में इसे बताया।

मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है।

4.7 सेल्स एजेंटों को दिये गये कमीशन से संबंधित सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(1) के अनुसार, बिक्री संवर्धन इनपुट सेवा की परिभाषा में शामिल है। माननीय उच्च न्यायालय गुजरात ने मैसर्स केडिला हेल्थकेयर लिमिटेड के मामलें में निर्णय दिया कि माल की बिक्री के लिये कमीशन एजेंट को दिये गये कमीशन पर भुगतान किये गये सेवा कर का सेनवेट क्रेडिट इनपुट सेवा क्रेडिट¹⁸ के लिये अनुचित है। कमीशन एजेंट वह व्यक्ति है जो माल की खरीद और बिक्री से संबंधित है और बिक्री संवर्धन से नहीं। इसलिये, सेल्स कमीशन का कार्य "इनपुट सेवा" परिभाषा में बिक्री संवर्धन की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता।

¹⁸ {2013 (30) एसटीआर 3(गुजरात)}

हमने निम्नलिखित उदाहरण देखे जहां सेल्स कमीशन पर/कमीशन एजेंट को भुगतान किये गये सेवा कर के संबंध में सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया गया था। हमने यह बताया कि इसे ब्याज सहित वापस किया जाना था।

तालिका संख्या 11

सेल्स एजेंटों को दिये गये कमीशन से संबंधित निदर्शी मामले

निर्धारिती का नाम	कमिशनरी	अवधि	सीईआरए द्वारा देखे गये अनियमित रूप से लाभ उठाये गये सेनवेट क्रेडिट	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
मैसर्स मैनी मेटेरियलस मुवमेंट प्राइवेट लि.	बैंगलुरु-1	2011-12 से 2012-13	` 5.33 लाख	मंत्रालय ने सूचित (अक्टूबर 2014) किया कि कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है।
मैसर्स रेमसंस इंस्ट्रीज लि.	दमन	2010-11 से 2012-13	` 10.76 लाख	मंत्रालय ने सूचित (अक्टूबर 2014) किया कि कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है।
मैसर्स सीलटाइट डिचटंगस प्राइवेट लि.	बैंगलुरु-1	2012-13	` 2.55 लाख	मंत्रालय ने सूचित (अक्टूबर 2014) किया कि निर्धारिती ने आपत्ति के साथ ब्याज सहित ` 3.41 लाख का अनियमित सेनवेट क्रेडिट वापस किया।
मैसर्स होंडा कार्स (इंडिया) लि.	दिल्ली-एलटीयू	2010-11 से 2012-13	` 4.72 लाख	विभाग ने उत्तर दिया (मई 2014) कि सेल्स कमीशन पर सेवा कर का क्रेडिट विषय पर वित्त अधिनियम में दी गई 'व्यापार सहायक सेवा' की और 'कमीशन एजेंट' की परिभाषा और कर अनुसंधान इकाई (टीआरयू) द्वारा दिये गये विशिष्ट स्पष्टीकरण की परिभाषा को ध्यान में रखते हुये देय है। लेखापरीक्षा टिप्पणी: गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में

				रखते हुये उत्तर स्वीकार्य नहीं है।
--	--	--	--	------------------------------------

4.8 छूट प्राप्त सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट का अनुचित लाभ उठाना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6 के अनुसार, जहां एक उत्पादक शुल्क देय के साथ-साथ छूट प्राप्त माल का उत्पादन करता है, छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान के लिये प्रयोग की गई इनपुट सेवा के प्रयोग और प्राप्ति के लिये बनाये गये लेखे अलग-अलग अनुरक्षित होंगे। वैकल्पिक रूप से, उत्पादक या सेवा प्रदाता सेनवेट क्रेडिट नियमावली के 2004 के नियम 6(3) के अनुसार राशि का भुगतान करेगा। सेनवेट क्रेडिट नियमावली का नियम 2(ई) जो कि 1 अप्रैल 2011 को संशोधित है बताता है कि 'छूट प्राप्त सेवा' में ट्रेडिंग भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, स्पष्टीकरण 1(सी) से नियम 6(3ए) के अनुसार, ट्रेडिंग के मामले में, 'छूट प्राप्त सेवा' का मूल्य ट्रेडिंग किये गये माल के बिक्री मूल्य और खरीद मूल्य के बीच का अंतर होगा या बेचे गये माल की कीमत का दस प्रतिशत, जो भी अधिक है।

4.8.1 नागपुर कमिश्नरी में मैसर्स सविता ऑटो इंडस्ट्रीज के अभिलेखों के नमूना जांच के दौरान, हमने देखा कि निर्धारिती अन्य कार्यों के साथ-साथ ट्रेडिंग कार्य करता है। निर्धारिती ने उत्पाद शुल्क योग्य माल के उत्पादन के साथ-साथ माल की ट्रेडिंग दोनों के लिये प्रयोग किये गये सामान्य इनपुट सर्विस जैसे सुरक्षा, परिवहन, कंप्यूटर रखरखाव आदि पर सेनवेट क्रेडिट का भी लाभ उठाया। यह 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान 59.72 लाख की राशि के बराबर हुई। निर्धारिती ने नियम के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार अलग-अलग लेखे अनुरक्षित नहीं किए थे। क्योंकि ट्रेडिंग छूट प्राप्त सेवा है, निर्धारिती छूट प्राप्त सेवा प्रदान करने के लिये प्रयोग की गई इनपुट सेवा के सेनवेट क्रेडिट लाभ उठाने के लिये पात्र नहीं था और शुल्क के भुगतान का उत्तरदायी था।

हमने दिसम्बर 2013 में इसे बताया।

मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार (अक्टूबर 2014) किया।

हमें आगे की प्रगति (अक्टूबर 2014) की प्रतीक्षा में है।

4.8.2 इसी प्रकार, नोएडा कमिश्नरी में, मैसर्स इंडिया यामाहा मोटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड दुपहिया वाहनों के साथ-साथ उनकी ट्रेडिंग से जुड़ा था। 2011-12 और 2012-13 के दौरान, निर्धारित ने उत्पादन और ट्रेडिंग कार्य के लिये सामान्य इनपुट सेवा का लाभ उठाया लेकिन अलग-अलग लेखे नहीं बनाये। क्योंकि ट्रेडिंग छूट प्राप्त सेवा है, निर्धारित छूट प्राप्त सेवा प्रदान करने के लिये प्रयोग की गई इनपुट सेवा का सेनवेट क्रेडिट लाभ उठाने का पात्र नहीं था और शुल्क के भुगतान का उत्तरदायी था।

प्रमाणीकरण के लिये पर्याप्त आंकड़ों के अभाव के कारण, लेखापरीक्षा शुल्क के भुगतान न किये जाने को परिमाणित नहीं कर सकी।

हमने दिसम्बर 2013 में इसे बताया। हमें मंत्रालय के उत्तर (अक्टूबर 2014) की प्रतीक्षा है।

4.9 सेनवेट क्रेडिट का अनियमित उपयोग

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(4) के अनुसार, सेनवेट क्रेडिट उस अवधि से संबंधित शुल्क या कर के भुगतान के लिये महीने या तिमाही जैसा भी मामला हो, के अंतिम दिन में उपलब्ध केवल ऐसी क्रेडिट की सीमा तक उपयोग होगी। दिनांक 28 मार्च 2012 का बोर्ड का परिपत्र स्पष्ट करता है कि उपरोक्त नियम प्रावधान देय तिथि के बाद शुल्क के सामान्य भुगतान के लिये उपयुक्त हैं।

4.9.1 गुडगांव कमिश्नरी में, मैसर्स एमएंडएम मशीन क्राफ्ट लिमिटेड के अभिलेखों के नमूना जांच के दौरान, हमने देखा कि निर्धारित ने संबंधित अवधि के बाद अर्जित सेनवेट क्रेडिट के उपयोग से 2010-11 से 2012-13 की अवधि के लिये पूरक बीजकों के जारी करने के कारण ` 37.42 लाख के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किया। संबंधित माह के लिये उपलब्ध सेनवेट क्रेडिट का वास्तविक बीजक जारी करते समय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के समय पहले ही उपयोग कर लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ` 37.42 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित उपयोग हुआ।

हमने जनवरी 2014 में इसे बताया।

मंत्रालय ने सूचित (अक्टूबर 2014) किया कि निर्धारिती को `42.42 लाख के लिये कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

4.9.2 चेन्नई IV कमिश्नरी में मैसर्स नाटेसन सिंक्रोकोन्स प्राइवेट लिमिटेड ने 31 जुलाई 2012 का दोहरे क्रेडिट के कारण `7.58 लाख के अधिक सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया और जुलाई 2012 के माह के लिये शुल्क के भुगतान के प्रति `6.77 लाख की राशि का उपयोग किया। आंतरिक लेखापरीक्षा विंग ने इस गलती को बताया और निर्धारिती ने 15 मार्च 2013 को सेनवेट खाते में `7.58 लाख की राशि वापस की और ब्याज के प्रति `0.12 लाख का भुगतान किया।

चूँकि `6.77 लाख का अधिक सेनवेट क्रेडिट शुल्क भुगतान के लिये निर्धारिती द्वारा पहले ही उपयोग कर लिया गया था, `6.77 लाख की राशि का नकद द्वारा भुगतान किया जाना चाहिये और न कि सेनवेट खाते में वापस। इसके परिणामस्वरूप `6.77 लाख का अनियमित उपयोग हुआ।

हमने दिसम्बर 2013 में इसे बताया।

मंत्रालय ने आपत्ति का यह कहते हुए विरोध किया (अक्टूबर 2014) कि निर्धारिती ने अतिरिक्त क्रेडिट वापस किया जब आंतरिक लेखापरीक्षा में गलती बताई गई और केन्द्रीय उत्पाद नियमावली, 2002 के नियम 8(3ए) के अनुसार उत्पाद शुल्क के भुगतान में कोई चूक नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कि हमारी लेखापरीक्षा आपत्ति यह थी कि निर्धारिती ने दो बार क्रेडिट नहीं लिया होता, तो `6.77 लाख के शुल्क को समायोजित करने के लिये जुलाई 2012 के अंत में पर्याप्त क्रेडिट नहीं होता।